

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

पत्रांक- टी 2/एम0ई0एस0-14/2011 - 1118 पटना, दिनांक - 29.5.15

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण,
बिहार पटना

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
सभी संबंधित संस्थान/प्रतिष्ठान ।

विषय :- केन्द्र प्रायोजित एस0 डी0 आई0 योजनान्तर्गत एस0 ई0 एस0 के तहत भी0 टी0 पी0 स्थायी पंजीकरण करने के संबंध में ।

प्रसंग:- आई0टी0 /विधि-01/ 2013-1507 दिनांक-28-05-2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि निम्नांकित संस्थानों/प्रतिष्ठानों को भी0 टी0 पी0 हेतु उपयुक्त पाया गया जो नम्बर्स हैं -

क्र0 सं0	संस्थान का नाम एवं पता	स्थापना की पी0 नम्बर	अनुसूची पूर्व कोड	पुराण संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मदर टेरेसा नर्सिंग स्कूल, कटिहार, मिलीट्री कैम्प के पीछे मोंगरा फाटक, दलन, कटिहार-854106	410100005	MED-101,205, 206, 207,208,131,132,133, 135,137,238,239,241.	9473312200	
2	राम प्रताप स्मृति रजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, पेठिया बाजार, फुलवारी शरीफ पटना-801505	41028005	SS-102	9304974850	

उपर्युक्त वर्णित कुल-02 संस्थानों को स्कूल डबलपमेन्ट इनिशिएटिव (एस0 डी0 आई0) योजनान्तर्गत मॉड्यूलर इम्प्लायबुल स्कूल (एम0ई0एस0) के तहत भी0 टी0 पी0 घोषित करने हेतु कार्यक्रम-04 में वर्णित मॉड्यूल में संबंधित संस्थानों को प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने की दिशानिर्देश जारी की जाती है ।

मॉड्यूलर इम्प्लायबुल स्कूल के नये मैनुअल में निहित प्रबंधन के अनुसार Training Batch No (TBN) generate करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान देना अनिवार्य होगा :-

1. Bio-Metric System Install करने के उपरान्त मशीन का IMEI, Serial No साक्ष्य के साथ निदेशालय को उपलब्ध करना अनिवार्य होगा ।
2. एक मॉड्यूल में दो बैच तथा विभिन्न मॉड्यूल में कुल 06 बैच एक साथ चलाए जा सकते हैं। प्रत्येक संस्थान/प्रतिष्ठान को अनुमति दी जाती है।



3. किसी भी बैच में प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत से कम हो, प्रशिक्षण कार्य अनिवार्य है।
4. 30% महिलाओं को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देना अनिवार्य है।
5. प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत एवं अनुदेशकों की उपस्थिति 90 प्रतिशत अनिवार्य है।
6. इस योजना के तहत सभी भी0 टी0 पी0 को एक दिन में कम से कम 3 घंटा तथा अधिकतम 6 घंटा एक मॉड्यूल में प्रशिक्षण देना है साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश लागू करना अनिवार्य है।
7. इस योजना के तहत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का बंधवार प्लेसमेंट, ट्रेनिंग/ आय पोर्टल पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
8. इस योजना के तहत स्थायी पंजीकृत भी0 टी0 पी0 यदि तीन माह के अन्दर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्य आरंभ नहीं करता है अथवा दो बैच की अधिक छः माह से ज्यादा होने की स्थिति में उनका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।
9. जैसे मॉड्यूलस जिनका प्रशिक्षण अवधि 300 घंटा या उससे अधिक है, उस मॉड्यूल में ट्रेनिंग देने के पूर्व Soft and Entrepreneurship skill module में ट्रेनिंग देना अनिवार्य है साथ ही प्रशिक्षण से संबंधित साक्ष्य निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. इस योजना के तहत यदि एक भी0 टी0 पी0 एक प्रशिक्षणार्थी का नाम एक से ज्यादा बैच में एक ही समय अंकित करता है तो वैसी स्थिति में उक्त भी0 टी0 पी0 का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।
11. प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन हेतु नामित Assessor का मूल्यांकन की तिथि की सूचना प्राप्त होने पर Vocational Training Provider (VTP) द्वारा निदेशालय के साथ-साथ जिला नियोजन पदाधिकारी को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। Assessment के समय जिला नियोजन पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
12. ट्रेनिंग कैलेंडर बनाने एवं प्रशिक्षण प्रारंभ करने के बीच कम से कम एक सप्ताह का समय सुनिश्चित करे ताकि ट्रेनिंग कैलेंडर का अनुमोदन प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व किया जा सके।

विश्वसभाजन,

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-टी 2/एम0ई0एस0-

1118

पटना, दिनांक- 29.5. 2015.

प्रतिलिपि- सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आदश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।